

राष्ट्रीय आवास बैंक  
नई दिल्ली, 13 मार्च 2015

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.15/सीएमडी/2015 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है. एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामतः:

1. अनुच्छेद 2 में संशोधन

मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 2 में, उप अनुच्छेद (1) में, खंड (वाई) (vi) के बाद निम्नलिखित नया खंड डाला जाएगा, नामतः:-

“(vi) (क) एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने से जुटाई गई कोई राशि और जिसमें 1 करोड़ और उससे अधिक पर प्रति निवेशक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन हो, प्रदान करता है कि ऐसे डिबेंचर ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए जाएंगे”

अर्जुन राय  
कार्यपालक निदेशक